कायार्लय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर.चांपा

//सूचना पत्र//

1. इस स्थापना द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक 1232/दो–12–1/2023, जांजगीर, दिनांक 13.07.2023 एवं 692/दो–12–1/2023, जांजगीर, दिनांक 24.04.2024 के अंतर्गत साामान्य स्थापना, कोर्ट मैनेजर अमला एवं आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवदेन पत्र आमंत्रित किया गया था। जिसके तारतम्य में सामान्य स्थापना के अंतर्गत **सहायक ग्रेड–3** एवं **लिपिक क्लर्क (संविदा)** कोर्ट मैनेजर स्टाफ के रिक्त पदों की भर्ती हेतु अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की स्कूटनी उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की पृथक–पृथक सूची जारी किया गया है।

2. उक्त पदों हेतु आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो अपात्र की श्रेणी में है अपनी पात्रता के संबंध में वैध दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति सहित स्वंय उपस्थित होकर/डाक के माध्यम से दिनांक 01–03–2025 के कार्यालयीन समय 05:00 बजे तक दावा/आपत्ति कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है किसी अन्य माध्यम से प्राप्त दावा–आपत्ति आवेदन मान्य नहीं होगा। बिना वैध दस्तावेज के अथवा नियत तिथी के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और उन्हे अनर्ह माना जावेगा।

3. ऐसे अभ्यर्थी जो पात्र की श्रेणी में है उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित सभी जानकारी का अवलोकन करें यदि, उल्लेखित जानकारी में किसी प्रकार की भिन्नता या त्रुटि है, तो त्रुटि सुधार हेतु दावा–आपत्ति हेतु निर्धारित किये गये तिथि तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। (पात्र अभ्यर्थी विशेष रुप से जाति कालम में यदि, आरक्षित श्रेणी के है और जाति कालम में सामान्य अंकित है तो वैद्य दस्तावेजों के साथ त्रुटि सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते है, निर्धारित तिथि के बाद या लिखित परीक्षा के पश्चात् कौशल परीक्षा हेतु वर्गवार सूची का प्रकाशत किये जाने के पश्चात् जाति कालम में सुधार हेतु दावा–आपत्ति प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त संबंध में कोई आवेदन मान्य नहीं होगा)।

4. जिन अभ्यर्थियों को पात्र माना गया है इसका अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन/उम्मीदवारी निरस्त कर दिया जावेगा।

5. लिखित परीक्षा संबंधी अन्य जानकारी (परीक्षा तिथि, परीक्षा केन्द्र, सामान्य अनुदेश, प्रवेश पत्र इत्यादि) संबधी सूचना पृथक से जारी किया जावेगा।

6. वाहन चालक, चपरासी प्यून, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी (चौकीदार, जलवाहक, स्वीपर) के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु पृथक से सूचना जारी किया जावेगा ।

लिखित परीक्षा की तिथि– 23–03–2025

19/02/25

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर–चांपा